

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,  
उप सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तर प्रदेश जल निगम,  
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5

लखनऊ दिनांक 17 मार्च, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में नेशनल गंगा रीवर बेसिन अथारिटी कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त सेन्टेज की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी-52/022-0264/2016, दिनांक 15.03.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "नेशनल गंगा रीवर बेसिन अथारिटी कार्यक्रम" के अन्तर्गत निर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल धनराशि के सापेक्ष अनुमन्य अतिरिक्त 4.5 प्रतिशत सेन्टेज की अवशेष कुल धनराशि 1460.00 लाख (रु० चौदह करोड़ साठ लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं :-

- (1) उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ तथा विशेष सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके लखनऊ कोषागार/ भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी ।
- (2) इस स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/ पोस्ट आफिस /डिपाजिट खाते /पीएलए में नहीं रखा जायेगा।
- (3) प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा जिसका लिये स्वीकृत की जा रही है । स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि का उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र दिशा -निर्देशों के अनुसार यथासमय शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद को भेजा जाना वांछनीय है ।
- (5) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जो आकड़े/विवरण उपलब्ध कराये गये हैं वह अभिलेखों पर आधारित हैं। स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व अभिलेखों की पुष्टि पुनः कर लेंगे।
- (6) एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम एवं झील प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की मूल लागत की सीमा में ही उक्त धनराशि का व्यय किया जाय। स्वीकृत लागत से अधिक धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु परियोजनाओं पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।
- (7) व्यय वित्त समिति द्वारा उपरोक्त परियोजनाओं की अनुमोदित लागत में 12.5 प्रतिशत सेन्टेज अनुमन्य किये जाने संबंधी अभिलेखों की पुष्टि करने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किया जाये।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों /उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल-जल तथा सफाई-107-मल-जल सेवायें-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101- नेशनल गंगा रीवर बेसिन अथारिटी के अन्तर्गत संचालित परियोजनाए (के.70/रा.30)-35-पूर्णागत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय  
31  
(रंग बहादुर सिंह)  
उप सचिव ।

संख्या- 50/2016-995(11)/नौ-5-16-03एनजीआरबीए/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
- 3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
- 4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ ।
- 6- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो
- 7- मुख्य अभियन्ता (गंगा), 30प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
- 9- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 10- नियोजन अनुभाग- 3/4
- 11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
- 12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,  
31  
(रंग बहादुर सिंह)  
उप सचिव ।

## Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2015-2016  
आवंटन दिनांक-17/03/2016

प्रेषण संख्या:- 50  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-50-2016-995-1-9-5-16-3NGRBA-16  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)  
02 - मल-जल तथा सफाई  
107 - मल - जल सेवाएं  
01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं  
01 - नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथारिटी के अन्तर्गत  
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगतः परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	146000000 1332527000	146000000 1332527000
	योग	वर्तमान प्रगामी	146000000 1332527000	146000000 1332527000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रुपया चौदह करोड़ साठ लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया एक अरब तैंतीस करोड़ पच्चीस लाख सत्ताइस हजार

  
(उमा शंकर सिंह)  
विशेष कार्याधिकारी